

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 05.09.2023

1.थाना इकोटेक-3, पुलिस द्वारा रात्रि में बन्द पड़े मकानो/कम्पनी में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुये 03 अभियुक्त को चोरी किये गये सोने/चांदी के आभूषणो, बैट्ररी/इन्वेटर व चोरी किये गये रुपयो व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल के साथ गिरफ्तार|

घटनाक्रम का विवरण-- थाना इकोटेक 3 पुलिस द्वारा बीट पुलिसिंग के माध्यम से मिली गोपनीय सूचना के आधार पर 03 अभियुक्तों को दिनांक 05.09.2023 को पक्की पार्किंग ग्राम हबीबपुर से चोरी किये सोने/चाँदी के आभूषणो (एक जोडी झुमके व एक टीका व एक ओम व एक नथुनी पीली धातु की व एक अदद माइक्रोटेक इंवर्टर (सफेद रंग) व चिटबन्दीशुदा एक बैटरा लिवगार्ड (रंग काला-लाल) व चोरी के 11,800/- रुपये व घटना मे प्रयुक्त/ सीजशुदा एक मोटर साईकिल रिज0नं0 यूपी 16 डीएल 5043 के साथ गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त थाना इकोटेक 3 क्षेत्र मे रात्रि के समय अलग-अलग समय/दिनाँक पर बन्द पडे मकानो/कम्पनी मे सोने व चाँदी के आभूषण व बैट्ररी इन्वेटर व अन्य कीमती सामान व नकद रूपये चोरी करते थे। इनके द्वारा काफी मात्रा मे सोने/चाँदी के आभूषण व अन्य कीमती सामान व रूपये चोरी किया गया है। जिसके सम्बन्ध में अलग अलग वादी की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किये गये।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

- 1. विवेक चौहान पुत्र मनोज कुमार निवासी ग्राम बड़ालोकपुर थाना चौबिया जनपद इटावा हाल निवासी बेगराज का मकान कन्या इन्टर कालेज वाली गली भंगेल थाना फेस 2,गौतम बुद्ध नगर उम्र करीब 20 वर्ष
- 2. शहजाद खान उर्फ डमरू पुत्र साहिद खान निवासी कन्या इन्टर कालेज के पास नमकीन वाली गली भंगेल थाना फेस 2, गौतम बुद्ध नगर उम्र करीब 19 वर्ष
- 3. विजय राजपूत पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम व थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर हाल निवासी अल्लाहबक्स के मकान में कन्या इन्टर कालेज के पास नमकीन वाली भंगेल थाना फेस 2, गौतम बुद्ध नगर उम्र करीब 19 वर्ष

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास--

- 1. मु0अ0सं0 377/2023 धारा 380/411 भादवि थाना इकोटेक 3 गौतमबुद्धनगर।
- 2. म्0अ0सं0 293/23 धारा 380/411 भादवि थाना इकोटेक 3 गौतमबुद्धनगर।

2.थाना सेक्टर 20 पुलिस द्वारा, 02 लुटेरे अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 07 मोबाइल, 01 तमंचा 315 बोर, 01 कारतूस, 1 किलो 600 ग्राम गांजा व घटना में प्रयुक्त 01 मो0सा0 केटीएम बरामद।

घटनाक्रम का विवरण-- दिनांक 05.09.2023 को थाना सेक्टर 20 नोएडा पुलिस द्वारा, लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये 02 लुटेरे अभियुक्तों 1. गुलशन पुत्र दिनेश 2. सन्नी पुत्र गोपीचन्द्र को सब मॉल के पीछे पार्किंग के गेट के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त गुलशन के कब्जे से 4 मोबाइल तथा बैग में 1 किलो 600 ग्राम गांजा तथा अभियुक्त सन्नी के कब्जे से 03 मोबाइल, एक तमंचा 315 बोर, एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद। अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना सेक्टर 20, नोएडा पर मु0अ0सं0 0384/2023 धारा 411/414 भादिव व 3/25 आर्म्स एक्ट व 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण बरामद केटीएम बाइक से कम्पनी के आस-पास घात लगाकर खडे रहते है, कम्पनी से काम- करके निकलने वाले व्यक्तियों से मौका देखकर मोबाइल छीन लेते है और भाग जाते है। इन शातिर लुटेरों द्वारा

सैक्टर 62 नोएडा क्षेत्र में कम्पनी में आने जाने वाले लोगों से मोबाइल फोन बात करते हुए जाते समय उसके नजदीक मोटरसाईिकल लगाकर मोटरसाईिकल पर पीछे बैठा अभियुक्त मोबाइल छीनकर तेज गित से चलाकर भाग जाते है | लूट की घटना करते समय अक्सर मोटरसाईिकल को अभियुक्त गुलशन चलाता है तथा अभियुक्त सन्नी पीछे बैठकर मोबाइल छीनता है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता--

- 1. गुलशन पुत्र दिनेश निवासी म0न0 210, 25 फुटा रोड प्रकाश विहार थाना लोनी जिला गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष
- 2. सन्नी पुत्र गोपीचन्द्र निवासी इन्द्रापुरी विकासकुंज लोनी थाना लोनी जिला गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 0384/2023 धारा 411/414 भादिव व 3/25 आर्म्स एक्ट व 8/20 एनडीपीएस एक्ट

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास का विवरण--

- 1. मु0अ0सं0 462/2020 धारा 392 भादवि थाना सैक्टर 39 नोएडा गौतमबुद्धनगर
- 2. मु0अ0सं0 1278/2021 धारा 25/4 आयुध अधिनियम, लोनी गाजियाबाद
- 3. मु0अ0सं0 947/2021 धारा 413/414 भादवि, थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद
- 4. मु0अ0सं0 948/2021 धारा 25/4 आर्म्स एक्ट, थाना लोनी बॉडर गाजियाबाद
- 5. 2421/2021 धारा 379/414 भादवि, थाना साहिबाबाद, गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण--

- 1. 07 मोबाइल भिन्न- भिन्न कम्पनी के लूटे हुए
- 2. 01 तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 3. 01 किलो 600 ग्राम गांजा
- 4. घटना में प्रयुक्त 01 मो0सा0 केटीएम 250 ड्यूक नम्बर यूपी 17 एक्स 5435 (धारा 207 एमवी एक्ट में सीज)

3.थाना दनकौर पुलिस द्वारा, 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार |

घटनाक्रम का विवरण-- दिनांक 03.09.2023 को वादी ने, गाँव में नाली के झगड़े को लेकर अभियुक्तगण द्वारा वादी व वादी के बेटे व पत्नी के साथ मारपीट के सम्बन्ध में थाना दनकौर पर मु0अ0सं0 221/23 धारा 323/325 भा0द0वि0 पंजीकृत कराया गया था। मेडिकल प्रपत्र के आधार पर धारा 308 आईपीसी की बढ़ोतरी की गई है। दिनांक 05.09.2023 को थाना दनकौर पुलिस द्वारा अभियुक्तों 1. राकेश पुत्र तारा सिह 2. सतीश पुत्र नानकचन्द 3. निखिल पुत्र राकेश कुमार निवासी गण ग्राम चीती थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर को ग्राम चीती की पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

- 1. राकेश पुत्र तारा सिंह निवासी ग्राम चीती थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर
- 2. सतीश पुत्र नानकचन्द निवासी ग्राम चीती थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर
- 3. निखिल पुत्र राकेश कुमार निवासी ग्राम चीती थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

अभियुक्त राकेश पुत्र तारा सिह--

- 1. मु0अ0सं0 221/23 धारा 323/325/308/504/506/34 भा0द0वि0 थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर
- 2. मु0अ0सं0 325/20 धारा 323/325/504 भा0द0वि0 थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर

सतीश पुत्र नानकचन्द--

- 1. मु0अ0सं0 221/23 धारा 323/325/308/504/506/34 भा0द0वि0 थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर
- 2. मु0अ०सं० ३२५/२० धारा ३२३/३२५/५०४ भा०द०वि० थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर

निखिल पुत्र राकेश कुमार--

1. मु०अ०सं० २२१/२३ धारा ३२३/३२५/३०८/५०६/३४ भा०द०वि० थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर

4.थाना सेक्टर 24 नोएडा पुलिस द्वारा, इलैक्ट्रिक स्कूटी व रिक्शा की बैट्री चोरी करने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 8 चोरी की बैट्रियाँ, 4400 रूपये व एक इलैक्ट्रिक स्कूटी बरामद।

घटनाक्रम का विवरण-- दिनांक 04.09.2023 को वादी द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर दिनांक 03.09.2023 को चार्जिंग स्टेशन नं0-61 सेक्टर-52 नोएडा से वादी के थ्री व्हीलर लोडर से 03 बैट्री चोरी करने के सम्बंध में मु0अ0सं0 380/23 धारा 379 भा0दं0िव0 व वादी की तहरीर सूचना कि दिनांक 03.09.2023 को उक्त स्थान से वादी की इलैक्ट्रिक स्कूटी से बैट्री चोरी कर ले जाने के सम्बंध में मु0अ0सं0 381/2023 धारा 379 भा0दं0िव0 पंजीकृत हुआ।

दिनांक 05.09.2023 को उक्त मुकदमों की घटना का सफल अनावरण करने हेतु थाना सेक्टर 24 नोएडा पुलिस द्वारा उपरोक्त घटनाओं का सफल अनावरण करते हुये अभियुक्तो विजय, आशीष कुमार, विशाल व शिव कुमार को निर्माणाधीन एमएमआर माल के सामने बने फुट ओबर ब्रिज के पास सेक्टर 52 नोएडा के पास से **गिरफ्तार** किया गया है|

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

- 1. विजय पुत्र स्व0 राजेन्द्र निवासी ग्राम कहरका ढिकोली थाना चाँदनी नगर जिला बागपत हाल पता गोटा पहलवान का मकान सरफाबाद सेक्टर 73 नोएडा उम्र करीब 24 वर्ष
- 2. आशीष कुमार पुत्र परशुराम निवासी ग्राम वंधरा थाना रसूलाबाद जिला कानपुर नगर हाल पता पंकज का किराये का मकान थापड़ गेट खोड़ा कालोनी गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष
- 3. विशाल पुत्र बाबू लाल निवासी चुरमा थाना जयसिंह पुर जिला सुल्तानपुर हाल पता गुरदीप सिंह का मकान ग्राम चिल्ला दिल्ली उम्र करीब 20 वर्ष
- 4. शिव कुमार पुत्र जयपाल निवासी ग्राम मुकंदपुर ओगटी थाना बलैनी जनपद बागपत उम्र करीब 24 वर्ष
- 5. सुधीर पता अज्ञात (वांछित)

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास---

- 1. मु0अ0सं0 377/2023 धारा 379/411 भा0दं0वि0 थाना सेक्टर 24 नोएडा
- 2. मु0अ0सं0 370/23 धारा 379 भा0दं0वि0 थाना सेक्टर 24 नोएडा
- 3. म्0अ0सं0 380/2023 धारा 379/411 भा0दं0वि0 थाना सेक्टर 24 नोएडा
- 4. मु0अ0सं0 381/2023 धारा 379 भा0दं0वि0 थाना सेक्टर 24 नोएडा
- 5. मु0अ0सं0 383/2023 धारा 414 भा0दं0वि0 थाना सेक्टर 24 नोएडा

बरामदगी का विवरण--

- 1. आठ बैट्रियाँ चोरी की
- 2. एक स्कूटी
- 3. 4400 रूपये